न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 38–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–10–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 781/2011–12/अपील

राजेन्द्र पुत्र स्व0 रामनाथसिंह
निवासी ग्राम बेहट तहसील व जिला
ग्वालियर म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

मेवाराम पुत्र श्री हरप्रसाद
निवासी ग्राम बेहट तहसील व जिला
ग्वालियर

.....अनावेदक

श्री एन0डी0शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/9/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–10–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार ग्वालियर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा हरिजनपुरा तहसील व जिला ग्वालियर स्थित भूमि कुल किता 14 रकबा 4.220 हेक्टेयर में से 1/2 भूमि हाकिमसिंह की थी । हाकिम सिंह द्वारा उसके पक्ष में वसीयनामा निष्पादित किया गया है और हाकिम सिंह की मृत्यु हो गयी है, अतः हाकिम सिंह के स्थान पर उसका नामान्तरण स्वीकृत किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 13/2011–12/अ–6 दर्ज कर

कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि मृतक भूमिस्वामी द्वारा 10–12 दिन पूर्व उसके पक्ष में नोटराईज्ड वसीयत की गई है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नामान्तरण स्वीकृत किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 11–5–2012 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11–9–2012 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10–10–2013 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा फर्जी वसीयतनामा दिनांक 10–10–2010 को प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि वसीयत के साक्षी द्वारा कथन में बताया गया है कि अनावेदक द्वारा मेवाराम का फर्जी अँगूठा लगाया गया है और वसीयतनामा मेवाराम की मृत्यु उपरांत तैयार की गई है, अतः ऐसे फर्जी वसीयतनामे के आधार पर तहसीलदार द्वारा नामान्तरण आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि मृतक भूमिस्वामी द्वारा आवेदक के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है, जो कि पंजीकृत है, अतः पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई थी, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा प्रमाणित नहीं मानने का कोई कारण आदेश में नहीं दर्शाया गया है, अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा वसीयतनामा का फोटो खीचकर फर्जी वसीयतनामा तैयार किया गया है, जो कि साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है । इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय

अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक भूमिस्वामी द्वारा अंतिम वसीयतनामा अनावेदक के पक्ष में निष्पादित किया गया है, इसलिये अंतिम वसीयतनामा के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयनामा साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है, जबकि आवेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुआ है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा को बिना साक्ष्य से प्रमाणित किये तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है और अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक एवं अनावेदक दोनों के द्वारा वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण की मॉग की गई है । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट है कि मृतक भूमिस्वामी द्वारा प्रथम वसीयत आवेदक राजेन्द्र के नाम निष्पादित की गई है और बाद में दूसरी वसीयत अनावेदक मेवाराम के पक्ष में निष्पादित की गई है । इस संबंध में तहसीलदार द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि मृतक भूमिस्वामी द्वारा आवेदक के पक्ष में अंतिम वसीयत निष्पादित नहीं की जाकर अनावेदक के पक्ष में निष्पादित की गई है और अंतिम वसीयतनामा के आधार पर ही नामान्तरण किया जाना विधिसंगत है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अनावेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा को साक्ष्य एवं प्रति साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे

जाने योग्य है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा केवल आवेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयत पंजीकृत होने के आधार पर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया है जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वसीयत का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है, अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–10–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर